



Neutral Citation No. - 2026:AHC:2479

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44632 वर्ष 2025

श्रवण सिंह

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : सुरेश धर द्विवेदी

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री सुरेश धर द्विवेदी, विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से, श्री राम मोहित यादव, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य की ओर से सुना गया एवं अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 159 वर्ष 2025, धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता, थाना मदनापुर, जिला शाहजहाँपुर के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. अभियोजन कहानी के अनुसार, आवेदक ने दिनांक 13.7.2025 को लगभग सायं 05:30 बजे मृतक की छाती, पेट एवं शरीर के अन्य भागों पर प्रहार करके उसे चोटें कारित करने का कथित कृत्य किया।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा वर्तमान प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है। उक्त अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है। प्राथमिकी लगभग छः घंटे विलंब से दर्ज हुई है और उक्त विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि प्राथमिकी दर्ज होने से पहले ही पंचायतनामा तैयार किया जा चुका था और मुखबिर उक्त कार्यवाही में पंच साक्षी संख्या 1 था, किंतु उसने आवेदक के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा था, बल्कि उसके द्वारा बताई गई चोटें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से असंगत हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक को केवल दो चोटें आई थीं – एक उसकी खोपड़ी पर और दूसरी उसके कंधे पर।
7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया है कि मृत्यु का कारण मृतक की खोपड़ी पर लगी चोट है क्योंकि उससे मस्तिष्क का पदार्थ बाहर निकल रहा था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 18.7.2025 से जेल में बंद है और विचारण में सहयोग करने को तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
8. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है।
9. "दोषसिद्ध होने तक निर्दोषिता की उपधारणा" का सुप्रसिद्ध सिद्धांत जमानत को नियम तथा कारावास को अपवाद की संकल्पना को जन्म देता है।
10. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत व्यक्ति का जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार केवल इस कारण छीना नहीं जा सकता कि उस पर अपराध करने का अभियोग है, जब तक कि उसका अपराध उचित संदेह से परे सिद्ध न हो जाए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह उद्घोषित करता है कि किसी के भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न किया जाए, और वह प्रक्रिया न्यायोचित एवं उचित होनी चाहिए। उक्त सिद्धांत को माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, (2022) 10 एससीसी 51** में पुनः प्रतिपादित किया है।
11. उपर्युक्त मत को दोहराते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 आईएनएससी 595** के वाद में पुनः इस बात पर बल दिया है कि इस सुस्थापित विधिक सिद्धांत को नहीं भूला जाना चाहिए कि जमानत को दंड के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि न्यायालय इस सिद्धांत को मान्यता दें कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है"।
12. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं बता सके जो आवेदक को जमानत देने से इनकार को उचित ठहराए।



13. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए, प्राथमिकी दर्ज कराने में विलंब तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि मुखबिर ने पंचायतनामा की कार्यवाही के दौरान, जो प्राथमिकी दर्ज होने से पहले ही पूरी हो चुकी थी, आवेदक के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा था, तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

14. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक **श्रवण सिंह** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका एवं दो जमानतदारों द्वारा समान राशि में जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/भयादोहन नहीं करेगा।

(iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

15. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

7 जनवरी, 2026

विकास वर्मा